20/7/2023 अधिवक्ता वादी अनुपस्थित। आवाजे लगवाई गई। अधिवक्ता वादी अथवा वादी स्वयं उपस्थित नहीं एवं न ही प्रतिवादीगण की तलबी के नोटिस ही प्रस्तुत किए गए हैं। अतः वादपत्र अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नक्शा से कम हो।

(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़

Scanned with AnyScanner